राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356)

आधार-

- संघ सरकार का दायित्व है कि बाहरी आक्रमण और आन्तरिक अशान्ति से राज्यों की रक्षा करेगा। (अनुच्छेद 355)
- यदि राज्य का शासन या प्रशासन संविधान के तंत्र के अनुसार संचालित न हो तो राष्ट्रपति स्वयं अथवा राज्यपाल की सलाह पर राज्य का समूचा शासन अपने हाथों में ले सकता है। जिसे लोकप्रिय रूप में राष्ट्रपति शासन कहा जाता है।

- संवैधानिक तंत्र की विफलता का आशय:-

- परम्परागत रूप में अनुच्छेद 356 का प्रयोग न्यायिक पुनरावलोकन के दायरे में शामिल नहीं किया गया क्योंकि संविधान में उल्लेखित है-

(i) मंत्रिपरिषद के द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह का न्यायिक पुनरावलोकन नहीं होगा (अनुच्छेद 74(1))

(ii) राष्ट्रपति और राज्यपाल के द्वारा किये गए आधिकारिक कार्यों के लिए उन्हें किसी भी न्यायालय के समक्ष उत्तरदायी नहीं ठहराया जायेगा (अनुच्छेद-361)

KGS IAS

- एस. आर बोमई वाद (1994) में उच्चतम न्यायालय ने ऐतिहासिक निर्णय देते हुए कहा कि अनुच्छेद 356 का न्यायिक पुनरावलोकन होगा
- उच्चतम न्यायालय ने पहली बार संविधान के तंत्र की विफलता और प्रशासनिक तंत्र की विफलता के बीच अन्तर किया।
- अनुच्छेद 356 का प्रयोग केवल संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर होगा यदि 6 महीने के भीतर विधानसभा का सत्र आयोजित नहीं हो रहा है यदि मंत्रिपरिषद विश्वास खोने के बाद भी सत्ता में बना हुआ है तो इसे संवैधानिक तंत्र की विफलता कहा जायेगा जबकि हिंसा, भ्रष्टाचार, प्रशासनिक तंत्र की विफलता के उदाहरण हैं।
- उच्चतम न्यायालय ने पहली बार यह कहा कि अनुच्छेद 356 लगाने के राष्ट्रपति की उद्घोषणा के बाद विधानसभा भंग नहीं होगी अपितु विधानसभा निलंबित होगी।
- न्यायालय ने कहा संसद के अनुमोदन के बाद ही विधानसभा भंग की जाएगी और असंवैधानिक रूप में यदि विधानसभा भंग की गई तो उच्चतम न्यायालय भंग विधानसभा को पुनर्जीवित कर देगा।

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR

• उच्चतम न्यायालय ने कहा कि विधानसभा में बहुमत राष्ट्रपति या राज्यपाल के निर्णय का विषय नही है अपितु यह विधानसभा के पटल पर सिद्ध किया जायेगा।

• उच्चतम न्यायालय के अनुसार संघीय शासन संविधान का आधार भूत ढांचा है अत: बाबरी मस्जिद के विध्वंस के आधार पर अनुच्छेद 356 का प्रयोग संवैधानिक है।

• उच्चतम न्यायालय मंत्रिपरिषद के सलाह का न्यायिक पुनरावलोकन नही करेगा लेकिन सलाह के लिए दिये गए किसी रिपोर्ट (वस्तुनिष्ठ आधार) की जांच करेगा।

अनुच्छेद 356 के प्रयोग पर प्रतिबंध:-

• भारतीय संघवाद में केन्द्रीय करण की प्रवृत्ति विद्यमान है इसीलिए-

(i) संसद किसी भी राज्य के नाम भू-भाग और आकार में परिवर्तन कर सकती है।

(ii) राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति संघ सरकार के द्वारा होती है

(iii) संघ सरकार के द्वारा राज्यों को वित्तीय अनुदान दिये जाते हैं।

(iv) अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान है और राष्ट्रपति शासन के समय संघ सरकार

KGS IAS KHAN GLOBAL STUDIES Most Trusted Learning Platform KHAN SIR

एकात्मक रूप में कार्य करती है।

- संवैधानिक व्यवस्था के द्वारा 7वीं अनुसूची के माध्यम से राज्यों को स्वायत्तता प्रदान की गयी है। जिसके द्वारा राज्य सरकार अपनी प्राथमिकता के अनुसार विधि का निर्माण कर सकती है प्रशासन का संचालन कर सकती है।
- राज्य की स्वायत्ता में संघ सरकार निम्नलिखित माध्यमों से हस्तक्षेप करती है-

(i) राज्यपाल के माध्यम से विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करना (अनुच्छेद-200)

(ii) CBI, ED का दुरूपयोग मुख्यमंत्री के खिलाफ

(iii) राज्य के विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर की नियुक्ति क्योंकि पूंछी आयोग के द्वारा यह सुझाव दिया गया है वाइस चांसलर की नियुक्ति मुख्यमंत्री द्वारा की जायेगी।

- 1990 के बाद अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग पर प्रभावी प्रतिबंध आरोपित हो गया जो राज्य की स्वायत्ता के लिए बहुत बड़ा खतरा था इसके कारण निम्नलिखित हैं-

(i) संघ में गठबंधन सरकारों का निर्माण जिससे क्षेत्रीय दलों को भी संघीय सरकार में प्रतिनिधित्व प्राप्त हो गया।

KCS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR

(ii) गठबंधन सरकार के कारण लोकसभा मे किसी भी एक दल का बहुमत नही रहा इसलिए अनुच्छेद 356 के प्रयोग के बाद संसद से अनुमोदन लेना कठिन हो गया।

(iii) उच्चतम न्यायालय का बोमई वाद मे निर्णय।

संघीय शासन की चुनौतियाँ :-

- भारत में संघीय शासन का निर्माण विविधता में एकता स्थापित करने के लिए किया गया है जिससे राज्यों की क्षेत्रीय आकांक्षाओं को पूरा किया जा सके लेकिन विघटन वाद को क्षेत्रवाद नही माना जा सकता
- भारतीय संघ के लिए सबसे बड़ी चुनौती कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों से उत्पन्न हुई जहाँ स्वायतता के नाम पर अलगाववाद को बढ़ावा दिया गया।
- राज्यों के बीच बढ़ती आर्थिक विषमता और राज्य के अन्दर होने वाली विषमता भी संघ सरकार के लिए चुनौती है।
- भारत में पूर्वोत्तर क्षेत्र में अनेक राज्यों का निर्माण कर दिया गया लेकिन अभी भी वे आर्थिक और वित्तीय रूप में संघ सरकार पर निर्भर हैं।

- सिक्किम एकमात्र राज्य है जिसे 35 वें संविधान संशोधन के द्वारा सहयुक्त राज्य का दर्जा दिया गया था। जिसके लिए संविधान में 35 वें संविधान संशोधन से अनुच्छेद 2A को जोड़ा गया। जिसे 36वें से समाप्त कर दिया गया।

- भारतीय शासन अधिनियम 1935 के अनुसार संघ सरकार को राज्यों को समय-समय पर निर्देश देने का अधिकार है।

KGS IAS KHAN GLOBAL STUDIES Most Trusted Learning Platform KHAN SIR